

सरकारी गजट, उत्तराचल उत्तराचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार 21 दिसम्बर, 2002 ई0

अग्रहायण, 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या ४५४ / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002

देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

<u>अधिसूचना</u>

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 को दिनांक 21—12—2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2002 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 17 सन 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित)

उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् के संविधान एवं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन हेतु आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की समस्त शाखाओं हेतु जिनका प्रसार, विकास व व्यवसाय उत्तराखण्ड राज्य किया जाता हो, के लिये प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थानी अधिनियम;

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

भाग—1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भिकी

2.

- (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 कहलायेगा।
- (2) यह अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य की सम्पूर्ण परिधि को आच्छादित करेगा।
- (3) यह दिनांक 30—10—2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

- इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (1) 'नियत दिन' से वह दिन अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया गया हो;
- (2) आकिस्मक रिक्ति' का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से भिन्न रिक्ति से होगा जो किसी कार्यालय में चुनाव अथवा नामांकन से भरे जाने वाले पद पर समय बीत जाने से रिक्त हो;
- (3) परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनी आयुर्विज्ञान परिषद् से होगा;
- (4) 'उत्तराखण्ड' का तात्पर्य राज्य के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र से होगा, जो उत्तराखण्ड में आता हो;
- (5) 'कार्यकारी समिति' का तात्पर्य उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् की कार्यकारी समिति से होगा, जो अधिनियम की धारा 11 द्वारा बनी होगी;
- (6) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से होगा;
- (7) 'मेडिकल प्रेक्टीशनर' या प्रेक्टीशन' का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति व उसके अन्तर्गत आने वाली शाखाओं में से किसी शाखा के अन्तर्गत कार्यरत हो एवं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की प्रथम व द्वितीय व तृतीय अनुसूची में विहित अर्हता का धारक हो;
- (8) औषधि" का तात्पर्य आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धित की औषधियों से है एवं शल्य चिकित्सा व प्रसूति में प्रयुक्त होने वाली औषधियों व चिकित्सा उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी सम्मिलित करेगा परन्तु जिसमें पशु चिकित्सा हेतु औषधियां व शल्य उपकरण, होम्योपैथिक, से आयुर्वेदिक अथवा सिद्ध अथवा यूनानी पद्धित की दवायें नहीं आयेगी।" मेडिकल" शब्द उपरोक्त परिभाषित अर्थ से तात्पर्ययित होगी:
- (9) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से होगा;
- (10) ''विहित करने'' का तात्पर्य इस अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमें। द्वारा जो विहित किया गया होगा;
- (11) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से होगा;

- (12) उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य परिषद के उपाध्यक्ष से होगा;
- (13) ''पंजिका'' का तात्पर्य चिकित्सा व्यवसायियों की उस पंजिका से होगा जो अधिनियम के अथवा उसके अन्तर्गत बनी तथा संरक्षित की गयी हो;
- (14) "पंजीकृत चिकित्सक" का तात्पर्य उस चिकित्सक से होगा, जो पंजीकरण हेतु निर्धारित योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 द्वारा विहित है, रखता हो और जिसका नाम प्रयोज्य समय में पंजिका में अंकित हो किन्तु यह उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नही होगा जिनका नाम अनन्तिम रूप से पंजिका में अंकित किया गया है;
- (15) "निबन्धक;" व उप निबन्धक" का तात्पर्य परिषद् के निबन्धक व उप निबन्धक से होगा जो अधिनियम की धारा 14 द्वारा नियुक्त किया गया हो;
- (16) ''नियम'' का तात्पर्य उन नियमों से होगा, जो अधिनियम की धारा—31 के अन्तर्गत बनाये गये हों:
- (17) भाग का तात्पर्य इस अधिनियम के भाग से है।

भाग-2

परिषद् की स्थापना

संविधान, दायित्व एवं 3. परिषद् के अधिकार परिषद् का संविधान व सहभागिता ---

- (1) राज्य सरकार अधिनियम के लागू किये जाने की तिथि राजपत्र द्वारा अधिसूचित कर प्रकाशित करेगा। अधिनियम के तहत एक परिषद का गठन किया जायेगा, जो ''उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद्'' कहलायेगा।
- (2) परिषद् एक निगमित निकाय होगा जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार सूत्र व मोहर होगा, उसे चल—अचल सम्पत्ति के क्य—विक्य तथा अपने धारण में रखे जाने के अधिकार होंगे तथा वह संविदा आमंत्रित कर उन सभी कार्यों की सम्पादना कराये जाने हेतु सक्षम भी होगा, जो अधिनियम द्वारा वांछित हो, उसे वाद चलाने व लड़ने के भी अधिकार होंगे।

परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:---

- (क) छः सदस्य जो कि पंजीकृत होने की योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा विहित है, रखते हों, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे।
- (ख) उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक मेडिकल कालेजों के मेडिकल फैकल्टी द्वारा उनके शिक्षकों में से चुने गये एक सदस्य।
- (ग) चार सदस्य जो राज्य के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी में से चुने जायेंगे, जिसमें एक सदस्य उत्तराखण्ड चिकित्सा संघ से भी चुना जायेगा :

परन्तु ऐसे किसी पंजीकृत चिकित्सक को चुनाव में वोट डालने या लड़ने का अधिकार नहीं होगा जो—

- (1) भारत का नागरिक न हो, एवं
- (2) वह उत्तराखण्ड में न रहता हो एवं उत्तराखण्ड में अपना व्यवसाय न करता हो व उत्तराखण्ड में नियुक्त न हो।
- (घ) राज्य के विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।
- (ङ) राज्य के महानिदेशक, चिकित्सा सेवा, परिषद के पदेन सदस्य होंगे।
- (4) परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष परिष्द के चुने सदस्यों के बीच में से चुने जायेंगे।
- (5) परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन के समय की संख्या व प्रक्रिया नियमों द्वारा

विहित की जायेगी।

- (6) यदि किसी चुनाव में चुनने वाले सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का चुनाव व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव नही कर पाते तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह रिक्तियों को भरने हेतु योग्य व्यक्तियों में से प्रत्येक कोटि के सदस्य को नामित करें। नामांकित व्यक्तियों को उस समय तक काम देखने का अधिकार होगा जब तक कि रिक्तियों के इस भाग के अनुरूप नियमित रूप से न भर ली जाये।
- (7) जब कभी परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वह समाधान हेत् राज्य सरकार को संदर्भित होगा एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
- (8) अधिनियम की धारा 1 उपधारा (3) में निम्न व्यवस्थायें वांछित नही होंगी :
 - जो राज्य सरकार द्वारा परिषद के गठन हेतु प्रथम बार की गयी हो जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक कोटि के लिये उन्हीं व्यक्तियों को नामित करेगी जो चूने जाने हेतू निर्धारित अर्हतायें रखतें हों।
 - (ख) उपरोक्त प्रकार से चुने गये सदस्य उस समय तक के लिये अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसे सदस्यों का कुल संकलित कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा अथवा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित किया जाय।

परिषद् का कार्यकाल (1) सरकार राजकीय राजपत्र में समस्त सदस्यों का नाम प्रकाशित करेगी।

(2) अधिनियम द्वारा अन्यथा आरक्षित किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उपरोक्त उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तिथि से पांच साल का होगा :

परन्त्क ऐसे व्यक्ति जिनकी सदस्यता चिकित्सा संकाय के शिक्षकों द्वारा चूनी हुई हो अथवा पदेन हो, स्वतः उनके मूल पद की सदस्यता के साथ परिषद के कार्यकाल से पूर्व समाप्त हो जायेगी।

- (3) अधिनियम द्वारा स्रक्षित प्राविधानों के अतिरिक्त परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके परिषद् की सदस्यता के समाप्ति के दिन समाप्त हो जायेगी।
- (4) किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा (2) में प्रदत्त होते हुए भी उस समय तक बढ जायेगी एवं उपधारा (1) द्वारा उत्तराधिकारी के नाम के प्रकाशन के पूर्व दिन तक की मानी जायेगी।
- (5) परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त होते हए भी स्वतः बढ़कर उत्तराधिकारी के चुनाव की तिथि के पूर्व तिथि को समाप्त होगी।
- (6) परिषद के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मात्र एक और लगातार सत्र हेत् चुनाव लड़ने व नामांकित होने के अधिकारी होंगे।
- (7) परिषद को अपने किसी सदस्य को एक लगातार क्रम में छः माह से अधिक अनुपस्थित रहने हेत् अवकाश दिये जाने का अधिकार न होगा।

आकस्मिक रिक्तियां (1) परिषद् के चुने हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ग) द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों मे से ही चुनाव द्वारा की जायेगी :

परन्तुक / यदि यह रिक्ति सम्पूर्ण परिषद के समय समाप्त होने के छः माह पूर्व हो तो नहीं भरी जायेगी।

- (2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) खण्ड (1) अथवा उपधारा (8) के अन्तर्गत नामांकित सदस्य के आकिस्मक रिक्ति की सूचना परिषद द्वारा तुरन्त सरकार को दी जायेगी, जिसे सरकार द्वारा फिर नामांकित कर भरा जायेगा।
- (3) धारा 3 अथवा धारा 4 की उपधारा (1) व (2) द्वारा चुने अथवा नामांकित हुए व्यक्ति की आकिस्मक रिक्ति मात्र परिषद के उतने कार्यकाल के लिये होगी, जितनी अविध रिक्ति के समय से संबंधित सदस्य की अवशेष होगी, इसमें उप धारा (8) की उक्ति बाधक नहीं होगी।

त्यागपत्र

- 6. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय अपने पद से परिषद के निबन्धक को सूचित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। यह त्यागपत्र उस दिन से मान्य होगा, जिस तिथि से इसे परिषद द्वारा स्वीकार किया जायेगा अथवा सूचित करने की तिथि से 60 दिन की समयाविध के भीतर या दोनों में से जो पहले हो।
 - (2) परिषद के चुने हुए सदस्य अथवा नामांकित सदस्य अपना त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय निबन्धक के माध्यम से अध्यक्ष को अथवा सरकार को दे सकेगें। यह त्यागपत्र उस दिन से मान्य होगा, जिस दिन से अध्यक्ष द्वारा या सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया हो अथवा त्यागपत्र की सूचना भेजने के 60 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया हो अथवा जो पहले हो।

निरर्हता अथवा निर्योग्यता

- 7. (1) चुने हुए अथवा नामांकित सदस्य को निम्न कारणों से चुनाव हेतु अथवा नामांकन हेतु अथवा पद पर निरन्तर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा, यदि—
 - (क) वह दिवालिया घोषित हो चुका हो, अथवा,
 - (ख) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो:
 - (ग) यदि उसका नाम राज्य की पंजिका से निकाल दिया गया हो एवं दोबारा उसमें न लिखा गया हो. अथवा.
 - (घ) यदि वह परिषद का पूर्णकालिक कर्मचारी हो अथवा यदि उसे किसी अनैनिक कारणों में लिप्त होने के कारण न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गयी हो।
 - (2) यदि कोई सदस्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में धारा 4 की उपधारा (7) के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश लिये बिना अथवा किसी अन्य कारण से, जो परिषद् के विचार से उसकी सीट को रिक्त घोषित करने हेतु पर्याप्त हो, भाग न लिया हो, तो परिषद उस सीट को रिक्त घोषित कर रिक्ति को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही करने को सवतंत्र होगी।
 - (3) यदि कोई सदस्य अपने कार्यालय में उपधारा (1) में वर्णित कारणों से अनर्ह घोषित किया जाय तो परिषद इस आशय की एक आख्या शासन को देगीं यदि सरकार अयोग्यता के कारणों से सन्तुष्ट होती है तो परिषद उस सीट को रिक्त घोषित कर देगी।

परिषद की बैठक

- परिषद् की बैठक बुलाना, करना व संचालन किया जाना नियमों द्वारा विहित किया जायेगा।
 - (2) अध्यक्ष जब उपस्थित हो तो वह परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हों तो परिषद के सामान्य सदस्यों में से चुना हुआ कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

- (3) परिषद की बैठक में किसी विवादित विषय को उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के वोट के बहुमत से तय किया जायेगा।
- (4) किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी को उस समय वोट देने का अधिकार प्राप्त होना जब किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष के वोट समान हों।
- (5) परिषद् के किसी बैठक की गणपूर्ति छः सदस्यों से, जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी सिम्मिलित होंगे, पूर्ण होगी। जब किसी बैठक में उपरोक्त गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो पीठासीन अधिकारी कम से कम गणपूर्ति हेतु 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त बैठक को उस दिन अथवा अगले दिन तक के लिये स्थिगत कर सकेगा और इसकी सूचना परिषद के सूचना पट पर अंकित की जायेगी। परिषद की अगली बैठक में विवादित विषय को रखा जायेगा और गणपूर्ति के अभाव से भी उसे निस्तारित किया जा सकेगा।

बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता

(1) परिषद की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा एवं कोई भी व्यक्ति परिषद के पूर्व संकल्प के बिना बैठक की कार्यवाही अथवा उसके किसी अंश को प्रकट नहीं करेगा :

परन्तुक कोई व्यक्ति परिषद की बैठक के उन निर्णयों को प्रकट अथवा प्रकाशित कर सकेगा, जिसके लिए परिषद द्वारा संकल्प लिया जा चुका है एवं यदि परिषद ने किसी संकल्प द्वारा प्रकाशन को सर्वथा गोपनीय रखने का संकल्प न लिया हो।

- (2) किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद की सदस्यता अथवा अध्यक्षता उपाध्यक्ष अथवा किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से किये गये कार्य, उनके चुनाव अथवा नामांकन के दोष अथवा निअर्हता के कारण समाप्त नहीं होगी अथवा परिषद के उन बैठकों की कार्यवाही जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता की गयी हो भी वांछित नहीं होगी। यदि बैठक के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये गये हों।
- (3) जब परिषद् का कोई पद रिक्त हो तो परिषद के निरन्तर बने सदस्य इस प्रकार का कार्य करेंगे जैसे कि वह रिक्ति घटित न हुई हो।
- (4) परिषद् द्वारा किये गये किसी भी कार्य पर मात्र इस आशय से प्रश्निचन्ह नहीं लगाया जा सकेगा कि उसमें कोई रिक्ति रह गई हो अथवा परिषद् के गठन में किसी प्रकार का दोष हो।

परिषद के अधिकार, 10. कर्तव्य एंव कृत्य

अधिनियम के अधीन रहते हुए अथवा नियमों द्वारा विहित परिषद् के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य निम्न होंगे :—

- (क) एक पंजिका जीवित चिकित्सों हेतु तैयार किया जाना, अनुरक्षित करना एवं चिकित्सा व्ययवसायियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।
- (ख) निबन्धक के निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील को निस्तारित करना।
- (ग) चिकित्सा व्यवसायियों हेतु आचार संहिता तथा व्यवसायिक आचरण को विहित किया जाना।
- (घ) चिकित्सकों को दण्ड़ देना, निलंबित करना अथवा उसका नाम राजकीय पंजिका से विलुप्त करना व उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना। जैसा कि परिषद् की राय में उचित एवं आवश्यक हो।
- (ङ.) अन्य सब वे अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य का अनुपालन सुनिश्चित करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हों अथवा नियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (च) जन साधारण की शिकायतों (जिसमें मरीज व उसके परिजन) जो किसी चिकित्सा व्यावसायी के विरूद्ध अभद्र आचरण अथवा अपेक्षापूर्ण कर्तव्य से संबंधित हों, को प्राप्त करना तथा उसकी विवेचना करना एंव मामलों को गुणदोष के आधार पर निर्णय लेते हुए यदि आवश्यक हो तो वादी को प्रतिकर की अदायगी करना तथा साथ ही यदि शिकायत आधारहीन हो तो शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करना।

- (छ) परिषद के सदस्यों को अपने व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में संरक्षण देना।
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निअर्ह व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक पद्धित से चिकित्सकीय कार्य न कर रहा हो।

कार्यकारी समिति

11.

12

- (1) परिषद शीघ्र एक कार्यकारी सिमति का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे तथा परिषद के अन्य सदस्य उसके सदस्य होंगे जो परिषद के चुने हुए सदस्यों से चुने जायेंगे अथवा जैसा विहित हो।
- (2) समिति का कार्यकाल तथा इसके सदस्यों की आकस्मिकता को भरने व सदस्यों द्वारा कार्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।
- (3) सिमिति को अधिनियम द्वारा सौंपे गये कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य के अतिरिक्त वह सब अधिकार प्राप्त होंगे एवं उन कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करना होगा जैसा कि परिषद द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायोजन किया जाय अथवा परिषद द्वारा सौंपे जाय।
- (4) परिषद् का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होगा।

परिषद के सदस्यों व कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस व भत्ते परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों तथा इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिये फीस व भत्ते आदि जैसा समय—समय पर विहित होगा, देय होगा।

परिषद का 13. आय—व्ययक

- (1) परिषद के आय के निम्न श्रोत होंगे:---
 - (क) चिकित्सा व्यवसासियों से प्राप्त पंजीकृत शुल्क;
 - (ख) सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि;
 - (ग) परिषद द्वारा उगाही गयी अन्य कोई राशि;
- (2) परिषद निम्न व्ययभार वहन करने के लिये स्वयं सक्षम होंगी :--
 - (क) निबन्धक एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान।
 - (ख) परिषद एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस एवं भत्ते।
 - (ग) किसी कार्य हेतु निर्धारित पारिश्रमिक।
 - (घ) ऐसा कोई अन्य व्यय, जो अधिनियम के अन्तर्गत दायित्वों एवं कार्य संचालन के लिये आवश्यक हो।

परिषद के निबन्धक, उपनिबन्धक की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य व कृत्य

- (1) परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निबन्धक अथवा उप निबन्धक पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व (तीन) द्वारा विहित अर्हताधारक चिकित्सा स्नातक हो।
 - (2) परिषद् निबन्धक को समय-समय पर अवकाश दे सकेगी :

परन्तु अवकाश की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी। अवकाश अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) किसी निबन्धक के पद की अस्थायी रिक्ति जो अवकाश या किसी अन्य कारण से हो, उप निबन्धक द्वारा निबन्धक के कार्य को देखा जायेगा। निबन्धक तथा उपनिबन्धक की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर उस पद पर कार्य करने हेतु व्यक्ति को नियुक्त करेगी। नियुक्ति की इस अवधि में इस व्यक्ति के कृत्य को अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा: परन्तु जब यह अवधि एक माह से अधिक न हो तो नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी एवं जिसकी सूचना तुरन्त कार्यकारी परिषद तथा सरकार को दी जानी आवश्यक होगी।

- (4) परिषद सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर किसी ऐसे व्यक्ति को जो निबन्धक नियुक्त हुआ हो, को निलम्बित अथवा अपसारित कर सकेगी अथवा उस पर किसी प्रकार का अर्थदण्ड जैसा नियमों द्वारा विहित हो लगा पायेगी।
- (5) अधिनियम द्वारा अन्य रूप से अनुरक्षित किये गये के अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते निबन्धक की वही होगी जैसी विहित की जायेगी।
- (6) निबन्धक परिषद का सचिव तथा अधिशासी अधिकारी भी होगा व परिषद् व कार्यकारी सिमिति की समस्त बैठकों में भाग लेगा एवं बैठकों के कार्यवृत्त व उस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम आदि का विवरण रखेगा।
- (7) परिषद का लेखा जोखा निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित ढंग से रखा जायेगा।
- (8) निबन्धक द्वारा परिषद के कर्मचारियों पर पर्यवेक्षकीय अधिकारी जैसा नियमें द्वारा विहित हो, प्रयोग किया जायेगा एवं अन्य वे सब कर्तव्य व कृत्य जैसा विधेयक द्वारा प्रदत्त हो किये जायेंगे।
- (9) निबन्धक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अधीन वर्णित लोक सेवक होगा।

भाग—3 पंजिका की तैयारी एवं अनुरक्षण

पंजिका की तैयारी

- (1) जैसे ही अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित हो जायेगी, निबन्धक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के चिकित्सा व्यावसायियों को पंजीकृत करने हेतु एक पंजिका तैयार की जायेगी एवं उसे अनुरक्षित किया जायेगा।
- (2) पंजिका नियमों द्वारा विहित प्रकार से एक भाग अथवा अनेक भागो में विभक्त कर रखा जायेगा और पंजिका में निम्न विवरण उपलब्ध कराये जायेंगें—
 - (क) आवेदक का पूरा नाम, उसकी पूर्ण शैक्षिक योग्यता, विद्यालय / विश्व विद्यालय के नाम सहित आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी प्रत्येक शैक्षिक अर्हता की तिथि एवं अन्य विवरण जो नियमों द्वारा विहित किये जाये, पंजिकायुक्त किये जायेंगे।
- (3) कोई व्यक्ति जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व तीन की अर्हता रखता हो तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की सभी शर्तों को पूर्ण करता हो, किसी भी समय विहित प्रारूप पर निबन्धक के समक्ष आवेदन कर सकेगा एवं निर्धारित शुल्क व अपने को पंजीकृत की जाने वाली योग्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अपना नाम पंजिका में अंकित करा सकेगा।
- (4)(क) वह प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम दिनांक 1 मई 1961 से निरन्तर भारतीय चिकित्सा परिषद की पंजिका में अंकित रहा हो तथा उसकी निरन्तरता इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व दिवस तक रही हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गयी पंजिका में पंजीकृत होने के लिए अधिकृत होगा;
- (ख) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के तीन माह क अन्दर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्दर निबन्धक सरकारी गजट में पंजीकृत नाम सामान्य सूचना हेतु अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रत्येक उस व्यक्ति से जो खण्ड (क) के अनुपालन में पंजीकृत होने योग्य हो, से निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस वा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने को कहेगा। यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहता हो। वह उन प्रत्येक व्यक्तियों को अलग से पंजीकृत डाक अथवा नियमों द्वारा विहित अन्य किसी तरीके से उनके अन्तिम जानकार पते पर सूचना भेजेगा। प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किये गये राजपत्र द्वारा सूचित तिथि के दो माह के अन्दर अथवा सूचना के कालातीत होने के पूर्व फीस आदि जमा कर दी हो, को निबन्धक पंजिका में नामावलिगत करेगा।

- (5) अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा किये जाने हेतु समय के व्यतीत हो जाने तथा उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत पंजिका के तैयार हो जाने के पश्चात निबन्धक द्वारा जैसा कि परिषद द्वारा चाहा गया हो उसी प्रकार से राजकीय गजट समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा कि पंजिका तैयार हो चुकी है एवं पंजिका सरकारी गजट द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
- (6) कोई व्यक्ति जो उत्तराखण्ड राज्य की परिधि में आधुनिक चिकित्सा पद्धित द्वारा चिकित्सकीय सेवा अथवा चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हो तो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगा। परिषद द्वारा पंजीकरण के अभाव में कोई व्यक्ति जो आधुनिक चिकित्सा पद्धित में निर्धारित की गयी योग्यता रखता हो, परिषद द्वारा विर्निदिष्ट कार्यवाही का भागी होगा।
- (7) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक को नियमों द्वारा विहित प्रारूप पर एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। पंजीकृत चिकित्सक इस प्रमाण पत्र को अपने व्यवसाय के किसी सहज दृश्य स्थान पर दृष्टिगत होने के लिये लगायेगा एवं यदि चिकित्सक एक से अधिक स्थान पर अपना चिकित्सा व्यवसाय संचालित करता है तो अपने द्वारा किये जा रहे एक व्यवसाय के स्थान पर उसे लगायेगा।

कतिपय दशा में 16. पंजीकरण की प्रक्रिया

- (1) वे स्वैच्छिक अर्हतायें, जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त हों, जिनका स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर हो (उन अर्हताओं से जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची (2) और (3) के अर्न्तमुक्त न हो) इस विधेयक के अन्तर्गत बिना उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त को पूर्ण कराये पंजीकृत नहीं किया जायेगा।
- (2) वह व्यक्ति जो इस प्रकार की चिकित्सा अर्हता रखता हो, को परिषद् के सम्मुख अपनी अर्हता संबंधी सही जानकारी देनी होगी जिसमें उसे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंन्स अथवा प्रमाण—पत्र जमा करना होगा। परिषद उनको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को उनकी राय के लिये भेजेगी तथा उनकी राय के अनुरूप ही कार्यवाही करेगी।

वे व्यक्ति जिन्हें 17. पंजीकृत नहीं किया जाना है

धारा 15 व 16 में वर्णित अर्हताओं के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम अधिनियम के अन्तर्गत बिना पंजिका के पूर्व अथवा बाद की तिथि को भारत के किसी भी भाग में इस विधेयक अथवा किसी अन्य नियमों के उल्लंघन में जो चिकित्सा व्यवसायी के पंजीकरण से संबंधित हो व्यापरिक अवचार के आधार पर पंजिका से निकाल दिया गया हो, वह व्यक्ति अपना नाम पंजिका में अंकित कराने से वारित रहेगा, जब तक कि उसका नाम उस पंजिका में सम्यक आदेशों के अन्तर्गत पुर्नस्थापित न कर दिया गया हो।

अनन्तिम पंजीकरण 18. प्रमाण–पत्र हेत्

- (1) जो व्यक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956, (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की धारा 25 के अनुसार अन्तिम रूप से पंजीकृत होना चाहेगा, वह निबन्धक को एक आवेदन—पत्र एवं शुल्क अदा करेगा।
- (2) प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसका नाम उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकरण रिजस्टर में नामावलिगत हो को एक अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा एवं जो प्रमाण पत्र पर लिखी अविध व दिनांक से वैध व प्रवित्त रहेगा।

पंजिका का अनुरक्षण

- (1) निबन्धक का यह दायित्व होगा कि वह पंजिका में प्रविष्टि करे, समय—समय पर यदि आवश्यक हो तो उनका परिशोधन करे एवं पंजीकरण के प्रमाण—पत्र विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमों के अनुरूप जारी करे।
- (2)(क) प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण करने वाले निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी चिकित्सा व्यवसायी की मृत्यु की प्रथम सूचना मिलते ही इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त निबन्धक को डाक द्वारा सूचित करे जिसमें उसके हाथ का बना मृत्यु प्रमाण–पत्र, मृत्यु का कारण, समय व स्थान अंकित होंगे। जिस पर तथा सूचना देने पर हुए अपने कार्यालय व्यय को प्राप्त करने का वह अधिकारी होगा;

- (ख) उन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को, जिनकी मृत्यु हो चुकी हो अथवा जिनके नाम को विलोपित किये जाने की संस्तुति अधिनियम की धारा—22 द्वारा प्रदत्त हो को पंजिका से विलोपित कर दिया जायेगा।
- (3) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पंजिका में प्रविष्ट अथवा पंजीकृत कर लिया गया हो वह अपने नाम को पंजिका में परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे एक आवेदन—पत्र के साथ नियमों द्वारा विहित शुल्क देना होगा जिससे कि पंजिका में उसके परिवर्तित नाम का अंकन हो सके।
- (4) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने नाम का पंजीकरण किये जाने के बाद किसी अतिरिक्त अर्हता जो कि परिषद के अधिनियम का किसी सूची में दिया गया हो, को पंजीकृत कराना चाहता है तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची में विर्निदिष्ट हो, इस अंकन हेतु आवेदक इस प्रकार की अतिरिक्त अर्हता अपने नाम के सम्मुख अंकित कराने हेतु नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क का ओवदन—पत्र देने के बाद अधिकारी होगा।

पंजीकृत चिकित्सकों की सूची को प्रकाशित किया जाना 20.

- (1) ऐसे समय में जो धारा—15 की उपधारा 5 के प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि के बाद हो, जैसा परिषद उपयुक्त मानता हो एवं उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त निबन्धक प्रत्येक संशोधित उन सभी व्यक्तियों की सूची जिनके नाम की प्रविष्टि पंजिका में हो चुकी हो को छपवा कर प्रकाशित करायेगा जो किसी चुनाव प्रक्रिया के आरम्भ होने के तीन माह पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी।
- (2) निबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवर्ष या जैसी कि कार्यवाही समिति द्वारा तिथि निर्धारित की गयी हो एक पंजीकृत सूची को छपवाकर प्रकाशित करेगा अथवा अनुपूरक व एक शुद्वि—पत्र उस प्रकाशित अनुसूची के उपखण्ड (1) द्वारा स्थापित हो, को दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा।
 - (क) ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम जो उस समय तक पंजिका में प्रविष्ट अथवा पुर्नप्रविष्ट किये गये हों एवं जो किसी अन्य उपलब्ध छपी हुई व प्रकाशित हुई सूची में सम्मिलित न किये गये हों:
 - (ख) उन चिकित्सकों के नाम जो विद्यमान में बन रही सूची में अंकित हों एवं जो नाम किन्हीं कारणों से किसी प्रकार से विलोपित कर दिया गया हो एवं जिसकी पंजिका में पुनः प्रविष्ट न की गयी हो, एवं
 - (ग) अन्य कोई संशोधन, जो विद्यमान सूची में आवश्यक हों।
- (3) प्रकाशन जो उप खण्ड (1) द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा, में वे विवरण अंकित होंगे एवं उसके प्रकाशन की विधि वह होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।
- (4) उपधारा (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची किसी भी न्यायालय के समक्ष तथा किसी भी न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक कार्यवाही के लिये निश्चायक साक्ष्य के रूप में मान्य होगी जो यह सिद्ध करेगी कि जो व्यक्ति इस सूची में अधिनियम के प्राविधानों के अनतर्गत विनिदिष्ट हो अथवा जिन व्यक्तियों के नाम इसमें उल्लिखत नहीं हैं वे पंजीकृत अथवा अपंजीकृत माने जायेंगे जब तक कि प्रतिकूलता इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध न हो जाया।

परन्तु किसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित सूची में आने से रह गया हो वह व्यक्ति निबन्धक से अपने नाम को पंजिका में अंकन होने की प्रमाणिक छायाप्रति प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति का अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने का साक्ष्य होगा।

(1) परिषद की एक अनुशासनिक समिति होगी जिसका गठन निम्नवत होगा:— (एक) सभापति — जो परिषद द्वारा नामित होगा;

अनुशासनिक कार्यवाही व पंजिका से नाम निकाला जाना

- (दो) एक सदस्य विधान सभा का- जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा;
- (तीन) एक न्यायविद् जो न्याय विभाग द्वारा नामित किया जायेगा;
- (चार) एक प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि जो शासन द्वारा नामित किया जायेगा;
- (पांच) एक प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ जो परिवाद संबंधी विषय में विशिष्टता रखता हो— परिषद द्वारा नामित किया जायेगा;
- (ছ:) उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा सेवा संघ का एक प्रतिनिधि, जिसको चिकित्सा कार्य सम्पादन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
- (2) यदि किसी चिकित्सा व्यवसायी को नियमों द्वारा विहित तरीके से सम्यक जांचोपरान्त परिषद अथवा कार्यकारी समिति द्वारा किसी उपचार हेत् दोषी पाया जाता है तो परिषद—
 - (क) उस चिकित्सा व्यवसायी को चेतावनी दे सकती है, अथवा
 - (ख) उस चिकित्सा व्यवसायी के नाम हेतु संस्तुति कर सकती है -
 - (एक) किसी निश्चित समय के लिये उसके नाम को पंजिका से हटाने हेतु;
 - (दो) उस पंजिका से उसका नाम स्थायी रूप से हटाये जाने हेतु।
- स्पष्टीकरण—— इस भाग के मूल्यांकन के लिये वह चिकित्सा व्यवसायी अवचार का दोषी होगा यदि—
 - (क) उसे किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध हेतु दण्ड दिया गया हो, जो अपराध दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2 वर्ष 1974) द्वारा संक्षेय हो अथवा;
 - (ख) यदि परिषद की राय में उसका आचरण चिकित्सा व्यवसाय के संदर्भ में अपमान जनक हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 द्वारा बनायी गयी है के विपरीत है।
- (3) परिषद द्वारा किसी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम उपधारा—1 के अन्तर्गत पंजिका से निकाल दिया गया है पुनः लिखित तर्कसंगत साक्ष्यों के आधार पर प्रविष्ट करने का अधिकार होगा।
- (4) परिषद द्वारा स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के शिकायती पत्र के आधर पर शिकायतकर्ता को सुनवाई को पूर्ण अवसर देते हुए जांचोपरान्त पंजिका में की गयी किसी प्रविष्टि को संशोधित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि यह सिद्ध हो जाय कि वह प्रविष्टि किसी कपटपूर्ण भाव अथवा त्रुटिवश हो गयी हो।
- (5) परिषद अथवा कर्मचारी समिति द्वारा की जा रही जांच में समिति को यह अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल न्यायालय को वांद प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत निम्न विषयों के लिये प्राप्त है:
 - (क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराना व उसकी शपथपूर्वक प्रति परीक्षा कराना;
 - (ख) उसके दस्तावेज आदि जांच हेतु भेजे जाने की वाध्यता, एवं
 - (ग) साक्षी की परीक्षा हेत् फरमान जारी करना।
- (6) इस धारा के अन्तर्गत की गयी सभी जांचे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 एवं 228 में अभिप्रेत मान्यता—प्राप्त होंगी।

- (7) (क) परिषद अथवा कार्यकारी समिति इस धारा के अन्तर्गत किसी जांच के दौरान उठाये गये कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन हेतु जहां न्यायिक सलाह की आवश्यकता हो वह एक परामर्शी से सेवा प्राप्त कर सकेगी, जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो एवं वह —
 - (1) एडवोकेट ऐक्ट 1961 के अन्तर्गत नामावलिगत हो; अथवा
 - (2) उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता हो;
 - (3) उच्च न्यायालय का अटर्नी (न्यायवादी)।

स्पष्टीकरण--

- (क) उपरोक्त उप धाराओं में किसी व्यक्ति को एडवोकेट की श्रेणी में नामावलिगत होने के मूल्यांकन में वह समय भी सिम्मिलित किया जायेगा जिस दौरान वह प्रथम वार कौसिल अधिनियम, 1926 में एडवोकेट की हैसियत से नामावलिगत किया गया हो।
- (ख) जहां कहीं विधि परामर्शी द्वारा परिषद् अथवा कार्यकारी समिति जैसी स्थिति हो को यिद किसी विधि संबंधी प्रश्न साक्ष्य, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय पर राय दी जाती है तो वह इसे हर व्यक्ति, वादी अथवा जांच में वादी का पक्ष प्रस्तुत कर रहे व्यक्ति के सामने राय देगा अथवा यिद यह राय तब ही दी जाती है जब परिषद अथवा कर्मचारी समिति द्वारा अपनी आख्या दी जा रही हो परामर्शी द्वारा दी गयी इस राय के बारे में वादी पक्ष के सभी व्यक्तियों को राय के संबंध में सूचित किया जायेगा। वादी पक्ष अथवा व्यक्ति को उस समय भी सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। परिषद अथवा कार्यकारी समिति के लिये यह आवश्यक होगा कि परामर्शी की किसी विधिक बिन्दु पर दी गयी राय को न मानने की स्थिति में भी वह प्रतिवादी पक्ष को सूचित करें;
- (ग) इस धारा के अन्तर्गत परामर्शी या तो साधारण तौर पर नियुक्त किया गया होगा अथवा किसी विशेष जांच हेतु नियुक्त किया गया होगा एवं उसको नियमों द्वारा विहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

पंजीकरण का नवीनीकरण

22.

- (1) अधिनियम की धारा 15 अथवा 20 के प्राविधानों के होते हुए भी कार्यकारी समिति सरकार से अनुमित प्राप्त कर प्रत्येक पांच वर्ष बाद किसी एक दिन निर्धारित कर जो धारा 15 की उपधारा (5) में प्रकाशित की गयी तिथि की सूचना के बाद की तिथि होगी, निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित दो बार राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जायेगी। प्रथम प्रकाशन का व्यवधान द्वितीय से 30 दिन से कम नहीं होगा। जैसा कि उपधारा (2) में प्रदत्त है कि समस्त पंजीकृत चिकित्सक निबन्धक को पुनः उनके नाम की प्रविष्टि की निरन्तरता को पंजिका में कर सकने हेतु ओवदन करेंगे।
- (2) निबन्धक के लिये यह आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अन्तर्गत वह प्रथम सूचना प्रकाशन के बाद एक पंजीकृत डाक द्वारा जिसके साथ निर्धारित आवेदन—पत्र का प्रारूप भी होगा, पंजीकृत चिकित्सक को उनके पते पर जो पंजिका में अंकित होगा इस आशय की सूचना भेजेंगे कि वे अपना नाम पंजिका में प्रविष्टि की निरन्तरता बनाये रखने के लिये उपरोक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर निबन्धक को भेंजें। यदि कोई चिकित्सक इस प्रकार का आवेदन—पत्र समय से भेजने में असमर्थ होता है तो निबन्धक पुनः उस पंजीकृत व्यवसायों को पंजीकृत डाक द्वारा उपधारा (1) में संदर्भित द्वितीय नोटिस प्रकाशन के बाद आवेदन—पत्र का प्रारूप इस आशय से कि वह निबन्धक को प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नियमों द्वारा समय—समय पर निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करें।
- (3) यदि पंजीकृत डाक द्वारा दी गयी उपधारा (2) की सूचना के बाद भी निबन्धक को किसी आवेदक का आवेदन—पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह व्यतिक्रमी चिकित्सक के नाम को पंजिका से निकाल देगा एवं उसको इसकी सूचना पंजीकृत डाक से दे देगा।

परन्तु निरन्तरता जारी रखने हेतु यदि कोई आवेदन—पत्र उपधारा (2) के अन्तर्गत दी गयी सूचना व सूचित की गयी तिथि के बाद प्राप्त होते हैं अथवा उस व्यक्ति का नाम यदि विलोपित कर दिया गया हो तो पंजिका में पुनः प्रविष्ट कराने हेतु नियमों द्वारा विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रविष्ट कर लिया जायेगा।

अपील

- (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा दिये गये इस निर्णय से असन्तुष्ट हो या क्षुब्ध हो, वह उनके उस निर्णय की सूचना मिलने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, जिसको परिषद सुनकर नियमों द्वारा विहित प्रकार से अपील को गुणदोष के आधार पर तय करेगी।
 - (2) यदि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) अथवा कोई अन्य प्रकार न प्रस्तावित हो तो परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकार 23.

24.

25.

27.

28.

उस समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधान में किसी बात के होते हुए भी--

- (1) वह व्यक्ति विधि द्वारा अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा सम्यक रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा कोई ऐसा शब्द जो विधि द्वारा मान्य चिकित्सा व्यवसायी को सम्बोधित करने हेतु आयात किया गया हो अथवा किसी चिकित्सा व्यवसायिक वृत्ति जो किसी अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की विधान सभा अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा परिभाषित (उनके उत्तराखण्ड में प्रवंतन के प्रारूप के अनुसार) जहां तक किसी अधिनियम को विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 239(ए) के खण्ड (3) द्वारा किया गया हो एवं वह चिकित्सक, जिसका नाम इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजिका में अंकित किया गया है।
- (2) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यदि वह चाहता हो तो किसी 'इनक्वेसट' के अन्तर्गत कार्यवाही न करने को स्वतंत्र होगा।

सीमान्त प्राविधान जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होंगे इस अधिनियम के सारे प्राविधान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होते है, के अतिरिक्त होंगे नहीं तो उसके अल्पीकरण में।

पंजीकृत होने की 26. असत्य सूचना पर दण्ड का प्राविधान यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कि नाम उस समय की पंजिका में अंकित न हो अथवा उसके द्वारा असत्य रूप से यह दर्शाया जाय कि वह पंजीकृत है अथवा ऐसे किसी संबंध से, किसी अभिनाम से अथवा शब्द व अक्षर जो इस उद्देश्य को दिखाने की नीयत से रखा गया हो कि उसका नाम पंजिका में अंकित है तो उस व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाने पर उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जिसकी न्यूनतम सीमा रू० 25,000 तथा उच्चतम सीमा रू० 50,000 तक हो सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत असत्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसायों का होना अपराध होगा

इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा असत्य रूप से यह मान लिया जाता है कि वह चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है अथवा वह अधिनियम की धारा 2 खण्ड (7) के अभिप्राय के अनुरूप चिकित्सक है अथवा व्यवसाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धित द्वारा कर सकता है तो वह सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकेगा, जिसकी अविध तीन वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दंडित किया जा सकेगा, जिसकी धनराशि पचास हजार रूपये तक हो सकती है अथवा दोनों सजायें एक साथ प्राप्त हो सकती हैं।

स्पष्टीकरण— इस प्राविधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति को मात्र सजा दी जा सकती है, जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7) के अनुरूप चिकित्सा व्यवसायी होने का दावा करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु चिकित्सक अथवा पशु शल्य चिकित्सक, होम्योपैथी, सिद्ध अथवा यूनानी की पद्धित के चिकित्सा व्यवसायी व जो बी.ए.एम.एस. अथवा बी.आई. एम.एस. डिग्री धारक होंगे को दंडित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम होगा

- (1) कोई न्यायालय जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से न्यून हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा और न ही वाद की सुनवाई कर सकेगा।
- (2) किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध का संज्ञान तब

तक नहीं लिया जायेगा, जब तक इस विधेयक के अन्तर्गत किये गये अपराध के संबंध में लिखित रूप से किसी अधिकारी द्वारा, जो नियमों द्वारा इस हेतु प्राधिकृत हो, द्वारा लिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

सरकार का नियंत्रण

29.

यदि सरकार को किसी भी समय इस आशय का ज्ञान होता है कि परिषद अथवा इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दायित्व के अनुपालन में असफल हैं अथवा अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर अपने किसी अधिकार का जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो, का दुरूपयोग कर रहे हैं अथवा कार्य संचालन में अक्षम हैं, एवं यदि सरकार यह समीचीन समझती है कि उपरोक्त असफलता, सीमाओं का उल्लंघन, पद के दुरूपयेग अथवा कार्य अकुशलता गम्भीर प्रकृति की हो, तो वह पूर्ण वर्णन के साथ उक्त को परिषद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जैसा वांछनीय हो, को सूचित करेगी। यदि उपरोक्त द्वारा असफलताओं, सीमाओं के उल्लंघन पद की कार्य कुशलता, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो, को समय सीमा में नहीं सुधारा जाता, तो सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निकाल सकती है एवं परिषद को निर्धारित समय के लिये विघटित कर सकती है जैसा वांछनीय हो एवं यदि परिषद विघटित की गयी हो तो परिषद के समस्त अथवा कुछ अधिकार, कर्तव्य व कार्य प्रक्रिया का निष्पादन सरकार इस आशय से नियुक्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों अथवा चिकित्सकों द्वारा करवाने में सक्षम होगी:

परन्तु इस प्रकार विघटित परिषद् को विघटित किये जाने के दिनांक से दो वर्ष से पूर्व नये परिषद् का अनिवार्य रूप से गठन किया जाना होगा।

(2) यदि सरकार द्वारा किसी समय यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि परिषद् अथवा उसका कोई पदाधिकारी, का गठन / नियुक्ति गैर संबैधानिक तरीकों से हुई हो तो सरकार किसी समय, किसी अधिकार, कर्तव्य एवं संचालन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा वांछित तरीके से करवाने हेतु सक्षम होगी, जिसकी अधिकतम समयाविध छः माह तक हो सकती है, जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा वांछित नहीं होगा।

नियम

- 30. (1) सरकार राज-पत्र द्वारा सूचित कर पूर्व प्रकाशित तिथि व शर्तों के अनुसार अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यों हेतु नियम बना सकेगी। यह नियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कियान्वयन हेतु विधेयक द्वारा नियमावली में बनाये जाने के लिए जिस प्रकार वांछित होंगे, बनाये जायेंगे।
 - (2) किसी विशेष परिस्थिति में बिना किसी विद्वेष के या सामान्य रूप से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सरकार सभी अथवा अन्य विषयों से संबंधित निम्न नियम बनाने में सक्षम होगी—
 - (क) धारा 3 के उपधारा (5) के अन्तर्गत सदस्य, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के चुनाव हेतु तिथि, स्थान व प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना।
 - (ख) परिषद की बैठक धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किस रूप में संचालित की जायेगी व कहां आयोजित की जायेगी का तय करना।
 - (ग) परिषद के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य, जिन शर्तो के अधीन प्रयुक्त व संचालित की जायेगी को तय करेगी एवं अधिनियम की धारा 10 के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सकों की आचार संहिता (नैतिक व व्यावसायिक) का विनियमन करेगी।
 - (घ) यह तय करेगी कि "कार्यकारी सिमति" में परिषद के चुने सदस्यों में से कितने सदस्य चुने जायेंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जायेंगी, उनके कार्य की क्या प्रणाली होगी एवं परिषद के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य, जिसमें धारा 11 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् द्वारा कार्यकारी सिमति को प्रत्यायोजित कार्य किये जाने की प्रणाली विहित किया जाना भी होगा।
 - (ङ) शुल्क व भत्ता, जो परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को अथवा कार्यकारी समिति के सदस्यों को धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जाना होगा, का निर्धारण किया जाना।

- (च) निबन्धक को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों का उसकी सेवा शर्तों को, उसके द्वारा परिषद के आय—व्ययक का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जायेगा, उसके पर्यवेक्षकीय दायित्व, जो परिषद के कर्मचारियों पर होगा, इस अधिनियम द्वारा निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त निबन्धक द्वारा किये जाने वाले कार्य का निर्धारण किया जाना।
- (छ) परिषद् के अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवा शर्तों का बनाया जाना जैसा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) द्वारा प्रस्तावित है का निर्धारण करना।
- (ज) चिकित्सा व्यवसायियों हेतु पंजिका की तैयारी व अनुरक्षण, पंजिका का प्रारूप, पंजिका में अंकित किये जाने का विवरण, जिसमें पंजीकृत किये जाने वाले चिकित्सक का नाम, पता, अर्हता संबंधी विवरण सिम्मिलित होगा, उस सूचना का प्रारूप जिसे राजपत्र में अथवा समाचार—पत्रों द्वारा नाम पंजीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित किया जाना होगां पंजीकरण हेतु शुल्क का निर्धारण उसे अदा किये जाने की पद्धति का प्रारूप, पंजीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को भेजे जाने वाली सूचना का प्रारूप तथा प्रमाण—पत्र का प्रारूप जो पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत चिकित्सक को धारा 15 के अन्तर्गत देय होगा।
- (झ) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप, इस हेतु देय शुल्क का निर्धारण तथा इस आशय में धारा 18 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना का प्रारूप तैयार करना।
- (ट) पंजिका के नाम आदि परिवर्तन हेतु शुल्क निर्धारण, अतिरिक्त सूचना की प्रविष्टि कराये जाने हेतु शुल्क का निर्धारण एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति विधेयक की धारा 19 के अन्तर्गत दिये जाने हेत् शुल्क का प्राविधान करना।
- (ठ) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सूची का प्रारूप निर्धारित करना जो धारा 20 के अन्तर्गत प्रकाशित की जानी है।
- (ड) उन विधाओं का निर्धारण जो किसी पंजीकृत चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अनुपालनीय होगी, जो परिषद अथवा कार्यकारी समिति द्वारा की जायेगी, उन शर्तो का विनियमन जो किसी चिकित्सक के नाम को पुनः पंजिका में अंकित किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क सिहत आवश्यक होगा एवं पारिश्रमिक जो धारा 21 के अन्तर्गत नामित मुल्यांकित करने हेतु न्यायविद को देय होगी।
- (ढ) सूचनाओं के एवं पंजीकरण हेतु जो पंजीकरण प्रारूप चिकित्सक द्वारा भरे जाने होंगे तैयार करना, शुल्क जो देय होगा, का निर्धारण करना यदि अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में नवीनीकरण के अभाव में छूटे नाम को पंजिका में पुनः प्रविष्ट करना हो, हेतु का निश्चित किया जाना। सूचनाओं के एवं पंजीकरण हेतु जो पंजीकरण प्रारूप चिकित्सक द्वारा भरे जाने होंगे तैयार करना, शुल्क जो देय होगा का निर्धारण करना यदि अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में नवीनीकरण के अभाव में छूटे नाम को पंजिका में पुनः प्रविष्ट करना हो, हेतु का निश्चित किया जाना।
- (ण) वह प्रणाली निर्धारित की जानी होगी जो परिषद द्वारा धारा 23 के अन्तर्गत अपनायी जायेगी।
- (त) उप अधिकारियों को नियुक्त करना होगा जो धारा 29 की उप धारा 2 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रवंतन हेत् वाद प्रस्तुत करेंगे।
- (थ) कोई अन्य विषय जिस हेतु नीति निर्धारित की जानी हो अथवा नियम जो भी अधिनियम के प्रवर्तन हेत् बनाया जाना हो।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियमों को अधिकतम तीस दिन के अन्दर अथवा यथाशीघ्र उत्तराखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो कि विधानसभा के विखण्डन के अधीन होंगे अथवा ऐसे संशोधनों के अधीन होंगे, जो विधानसभा के सत्र में होने पर अथवा निकट भविष्य में आहत होने वाले सत्र में किये जाय।

- (4) उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन अथवा संशोधन राजपत्र के प्रकाशित करने के उपरान्त प्रभावी होगा।
- आचार संहिता व 31. परिषद को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समय—समय पर निर्धारित आचार तथा ^{नैतिकता} चिकित्सा नैतिक संहिता का अनुपालन करना होगा।
- किवनाईयों का 32. इस अधिनियम के प्राविधान प्रभावी होने में यदि कोई किवनाई उत्पन्न होती है तो राज्य निराकरण सरकार समय की आवश्यकतानुसार किवनाई के निराकरण करने के उद्देश्य से आदेश द्वारा आवश्यक निराकरण कर सकेगी परन्तु परिषद् के गठन के पश्चात दो वर्ष की अविध व्यतीत हो जाने के उपरान्त ऐसा कोई ओदश नहीं कर सकेगी।
- निरसन 33. उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

THE UTTARAKHAND MEDICAL COUNCIL ACT, 2002 [Uttarakhand Act No.17 of 2002]

(As passed by Uttarakhand Legislative in the Fifty-third years of Indian Republic)

A bill substitute of promulgated ordinance to provide for the constitution of the Uttarakhand Medical Council & the maintenance of a register of Medical practitioners who are engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches in the State Uttarakhand and for matters connected therewith.

AN

ACT

It is hereby enacted in the Fifty-Third year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1.

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Medical Council Act, 2002.
- (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) It shall be deemed to have come into force on 30th October, 2002.

Definitions 2. In this Act, unless the context otherwise requires:

- (1) "Appointed Day" means the date on which the provisions of this Act shall come into force.
- (2) "casual vacancy" means a vacancy occurring otherwise than by efflux of time in any office filled by election or nomination;
- (3) "Council" means the Medical Council constituted under this Act;
- (4) "Uttarakhand" means the whole of the State of Uttarakhand;
- (5) "Executive Committee" means the executive committee of the council constituted under section 11 of the Act,
- (6) "Government" means the Government of Uttarakhand;
- (7) "Medical Practitioner" or Practitioner" means a person who is engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches and has qualifications as prescribed in the first, second or third schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (central Act 102 of 1956);
- (8) "Medicine" means the modern scientific system of medicine and includes surgery and obstetrics but does not include veterinary medicine or veterinary surgery or the Homeopathic, Ayurveda, Siddha or Unani system of medicine and the expression "medical" shall be construed accordingly;
- (9) "Member" means a member of the Council;
- (10) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (11) "president" means the president of the council;
- (12) "Vice President" means the Vice-President of the council;

- (13) "Register" means the register of medical practitioners prepared or deemed to be prepared and maintained under this Act,
- (14) "Registered Practitioners" means a medical practitioner having registerable qualifications as prescribed in the Indian Medical Council Act, 1956 (central Act 102 of 1956) whose name is, for the time being, entered in the register, but does not include a person whose name is provisionally entered in the register;
- (15) "Registrar" or Deputy Registrar" means the registrar or the Deputy Registrar, as the case may be, appointed under section 14 of this Act;
- (16) "Rules" means rules made under section 31 of this Act;
- (17) "Section" means a section of this Act.

CHAPTER-II ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL

Constitution, Functions and Powers Of The Council

- 3. Constitution and incorporation of the council:-
 - (1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette notify, there shall be constituted for the purposes of this Act a council to be called "the Uttarakhand Medical Council".
 - (2) The council shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, whether movable or immovable, and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Act, and may by the name a foresaid sue or be sued.
 - (3) The council shall consist of the following members namely:
 - (a) Six members having registerable qualifications as prescribed in the Indian Medical council Act, 1956(central Act 102 of 1956) to be nominated by the Government.
 - (b) One member from each medical college in Uttarakhand which is recognized by the Medical Council of India, elected from teachers of the medical faculty of that college.
 - (c) Four members to be elected by registered practitioners from amongst themselves including one member elected by the Uttarakhand Medical Association:

Provided that no registered practitioner shall be entitled to vote or stand as a candidate for election, unless:

- (i) He/ she is a citizen of India;
- (ii) He /she either resides or carries on his profession or is employed in Uttarakhand.
- (d) Deans of the Medical faculty of the universities of Uttarakhand as exofficio member and;
- (e) Director General of Health Services of the Uttarakhand Government as ex-officio member.
- (4) The president and Vice president of the council shall be elected by the members from amongst themselves.
- (5) The election of the members and of the president and Vice president shall be held at such time, and at such place, and in such manner, as may be prescribed.

- (6) If at any election, the electors fail to elect the requisite number of members, or the president or the Vice president, the Government shall nominate members from amongst persons qualified to be elected as members of the respective category, as it deems fit, to fill in the vacancy or vacancies; and the persons so nominated shall be deemed to have been elected for such time the vacancies are filled in on regular basis under this section.
- (7) Where any dispute arises regarding any election of a member or of the president or Vice president, it shall be referred to the Government, and the decision of the Government shall be final.
- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section(3)-
 - (a) In respect of the constitution of the council for the first time under this Act, the members thereof shall be nominated by the Government from amongst persons qualified to be elected or nominated as members of the respective category; and
 - (b) The member so nominated shall hold office for such period not exceeding three years in the aggregate as the Government may, by notification in the official Gazette, specify.

Term of the Council

- 4. (1) The Government shall, by notification in the official Gazette, publish the names of the members.
 - (2) Save as otherwise provided by this Act, a member shall hold office for a term of five years from the date of publication of the notification under sub-section (1):

Provided that where a person is elected by members of medical faculty of a medical college, or is an ex-officio member, he shall cease to hold office as a member if he ceases to belong to that faculty or, as the case may be, ceases to hold such office, before the expiry of his term.

- (3) Save as otherwise provided by this Act, the president or the Vice-president shall hold office from the date of his election up to the day on which his term of office as member expires.
- (4) The term of office of an outgoing member shall, notwithstanding anything contained in sub-section (2) be deemed to extend and to expire with the day immediately preceding the day on which the names of the successor members are published under sub-section (1).
- (5) The term of office of an outgoing President or Vice-President shall, notwithstanding anything contained in sub-section (3), be deemed to extend and to expire with the day immediately preceding the day on which the successor President or Vice-President as the case may be, is elected.
- (6) An outgoing member, President or Vice-President, shall be eligible for reelection or re-nomination for one more consecutive term only.
- (7) Leave of absence may be granted by the council to any member for a period not exceeding six months.

Casual Vacancies

5. (1) A Casual vacancy in the office of the President or Vice-President or a member elected under clause (b) of sub-section(3) of section 3 or clause (c) of said sub-section, shall be filled by election:

Provided that any such vacancy in the office of an elected member occurring within six months prior to the date, on which the term of office of all the members expires, shall not be filled.

- (2) A casual vacancy in the office of a member nominated under clause(a) of subsection (3) of section 3 of subsection (8) of that section shall be reported forthwith by the Registrar to the Government and shall as soon as possible thereafter be filled by the Government by nomination.
- (3) Any person elected under sub-section(1) or nominated under sun-section(2) to fill a casual vacancy shall, notwithstanding anything contained in sub-section (8) of section 3 of section-4 hold office only so long as the person in whose place he may be elected or nominated; as the case may be, would have held office, if the vacancy had not occurred.

Resignation

- 6. (1) The president or the Vice-President may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the council and delivered to the Registrar, the resignation shall take effect from the date on which it is accepted by council or on the expiry of sixty days from the date of the delivery of the notice, whichever is earlier.
 - (2) An elected member may, at any time, resign his office by a notice in writing addressed to the president. A nominated member may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the Government and delivered to the Registrar. Every such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the president or, as the case may be, the Government or on the expiry of sixty days from the date of the receipt of the notice, whichever is earlier.

Disqualificatio n and disability.

7.

- (1) A person should be disqualified for being elected or nominated as, and for continuing as, a member-
 - (a) if he/she is an un discharged insolvent; or
 - (b) if he/she is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (c) if his/her name has been removed from the register and has not been reentered therein; or
 - (d) if he/she is a whole time officer of servant of the council; or
 - (e) if he/ she has been convicted for an offence involving moral turpitude.
 - (2) If any member absents himself from three consecutive meetings of the council, without leave of the council granted under sub-section(7) of section 4 or without such reasons as may, in the opinion of the council, be sufficient, the council may declare his seat vacant and take steps to fill the vacancy.
 - (3) If any member becomes, or is found to be, subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the council shall submit a report to the Government, and the Government, if satisfied about the disqualifications shall declare his seat vacant.

Meeting of the Council

- (1) The meeting of the council shall be convened, held and conducted in such manner as may be prescribed.
- (2) The president, when present, shall preside at every meeting of the council, if at any meeting the President is absent, the Vice-President, and in the absence of both, some other member elected by the members present from amongst themselves, shall preside at such meeting.
- (3) All issues at a meeting of the council shall be decided by a majority of members present and voting.

- (4) The presiding authority at a meeting shall have and exercise a second or casting vote, in case of an equality of votes.
- (5) Six members (including the President and Vice-President) shall form a Quorum. If not present, the presiding authority shall, after waiting for not less than thirty minutes for such quorum, adjourn the meeting to such hour or some future day as it may notify on the notice board at the office of the council; and the business which would have been brought before the original meeting had there been a quorum thereat, shall be brought before the adjourned meeting, and may be disposed of at such meeting or any subsequent adjournment thereof, whether there be a quorum present, or not.

Proceedings of meeting and validity of proceedings

- (1) The proceedings of every meeting of the council, shall be treated as confidential and no person shall, without the previous resolution of the council, disclose any portion thereof; provided that nothing in this section shall be deemed to prohibit any person from disclosing or publishing the text of any resolution adopted by the council, unless the council directs such resolution also to be treated as confidential.
- (2) No disqualification or defect in the election or nomination of any person as a member, or as the President or as the Vice-President, or as a presiding authority of a meeting shall by itself be deemed to vitiate any act or proceedings of the council in which such person has taken part, if majority of the persons who are parties to such act or proceedings, were entitled to vote.
- (3) During any vacancy in the council, the continuing members may act, as if no vacancy has occurred.
- (4) Any act done by the council shall not be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the council.

Powers, duties and functions of the council

- Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the powers, duties and functions of the council shall be:-
- (a) to maintain the live register, and to provide for the registration of medical practitioners;
- (b) to hear and decide appeals against any decision of the Registrar;
- (c) to prescribe a code of ethics for regulating the professional conduct of practitioners;
- (d) to reprimand a practitioner, or to suspend or remove his name from the registered, or to take such other disciplinary action against him as may, in the opinion of the council be necessary or expedient.
- (e) To exercise such other powers, perform such other duties and discharge such other functions, as are laid down in this Act, or as may be prescribed.
- (f) To receive complaints from public (including patients and their relatives) against misconduct or negligence by a medical practitioner, to proceed for inquest, take a decision on the merits of the case and to initiate disciplinary action or award compensation and similarly to take action against frivolous complaints.
- (g) To provide protection to its members in discharging professional duties;
- (h) To ensure that no unqualified person practices the modern scientific system of medicine.

Executive Committee.

- 11. (1) The council as soon as may be, shall constitute an executive committee consisting of the President, an ex-officio member and such other number of other members, elected by the council from amongst its members, as may be prescribed.
 - (2) The term of office of and the manner of filling casual vacancies among, and the procedure to be followed by, the members of the executive committee shall be such as may be prescribed.
 - (3) In addition to the powers, duties and functions conferred, imposed and entrusted by this Act, the executive committee shall exercise such powers, perform such duties, and discharge such functions of the council as may be delegated to it by rules or entrusted to it from time to time, by the council.
 - (4) The president shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee.

Fee and allowances to members of the council and the Executive committee.

12. There shall be such fees, allowance and traveling allowances paid to the President, the Vice President and other members of the council, and to the members of its Executive Committee, for attendance at meetings, as shall from time to time be prescribed.

Income and expenditure of the council

- 13. (1) The income of the Council shall consist of:-
 - (a) Registration fees received from the practitioners;
 - (b) Grants received from the Government, if any and
 - (c) Any other sums raised by the Council.
 - (2) It shall be competent for the Council to incur expenditure for the following purposes; namely:-
 - (a) Salaries and allowances of the Registrar and the staff maintained by the Council:
 - (b) Fees and allowances paid to the member of the council and of the Executive Committee:
 - (c) Remuneration paid to the assessors; and
 - (d) Such other expenses as are necessary for performing the duties and discharging the functions under this Act.

Appointment of Registrar and or Deputy Registrar of the council, their duties and functions

- 14. (1) The Council shall, with the previous sanction of the Government, appoint a Registrar and or a Deputy Registrar, he shall be a qualified medical graduate as prescribed in Scheduled I, II and III of the Indian Medical Council Act 1956 (central Act 102 of 1956).
 - (2) The executive committee may, from time to time, grant leave to the Registrar:

Provided that, if the period of leave does not exceed one month, the leave may be granted by the president.

(3) During any temporary vacancy in the office of the Registrar due to leave or any other reason, the Deputy Registrar shall act as the Registrar. In case of non availability of Registrar and Deputy Registrar, the executive committee may, with the previous sanction of the Government, appoint another person to act in his place and any person so appointed shall for the period of such appointment, be deemed to be the Registrar for the purpose of this Act:

Provided that, when the period of such vacancy does not exceed one month, the appointment may be made by the President, who shall forthwith report such appointment to the executive committee and to the Government.

- (4) The Council may, with the previous sanction of the Government, suspend, dismiss or remove any person appointed as the Registrar or impose any other penalty upon him in the manner as may be prescribed.
- (5) Save as otherwise provided by this Act, the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar shall be such as may prescribed.
- (6) The Registrar shall be the Secretary and the Executive officer of the Council. He shall attend all meetings of the Council and of its Executive Committee and shall keep minutes of the meetings and names of members present and of the proceedings of such meetings.
- (7) The accounts of the Council shall be kept by the Registrar, in the prescribed manner.
- (8) The Registrar shall have such supervisory powers over the staff as may be prescribed, and may perform such other duties and discharge such other functions as may be specified in this Act, or as may be prescribed.
- (9) The Registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the I.P.C.

CHAPTER-III PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTER

Preparation of 15. Register

- 15. (1) As soon as may be after the appointed day, the Registrar shall prepare and maintain thereafter a register of Medical practitioners for Uttarakhand in accordance with the provisions of this Act.
 - (2) The register shall be in such form, and may be divided into such parts, as may be prescribed.
 - a) the resister shall include- the full name, address, and qualifications with the name of the college and university of the registered practitioner, the date on which each qualification was obtained, and such other particulars as may be prescribed.
 - (3) Any person who possesses any of the qualifications in the First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (central Act 102 of 1956) shall subject to any condition laid down by or under the Indian Medical Council Act 1956, at any time on an application made in the prescribed form to the Registrar and on payment of a prescribed fee and on presentation of proof of his register able qualification, be entitled to have his name entered in the register.
 - (4) (a) every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961 in Indian Medical Council Register and continued in such register on the day immediately preceding the appointment day, shall be entitled to have his name continued in the register prepared under this Act;
 - (b) Within a period of three months from the appointed day or such further period as the Government may allow, the Registrar shall publish a general notice in the official Gazette and in such newspapers, as the council may select, in such form as may be prescribed, calling upon every person to whom clause(a) applies, to pay to the Registrar in the prescribed manner the prescribed fee if he desire to have his name on the register under this Act, and shall also send individual notice for a like purpose by registered post to every such person at his last known address in such form as may be prescribed. The name of every such person who pays such fee before the expiry of the period of two months from the date of publication of the general notice in the official Gazette shall be enlisted on the register.

- (5) After the last date for payment of the prescribed fee under clause (b) of subsection (4) has expired and the register prepared in accordance with foregoing provisions is ready, the Registrar, shall publish a notice in the official Gazette and such newspapers as the council may select, about the register having been prepared, and the register shall come into force from the date of the publication of such notice in the official Gazette.
- (6) Any person servicing or practicing modern scientific system of medicine in Uttarakhand shall be registered with the council under this Act, without registration with the council any person though qualified in medicine, shall be liable for action as specified by the council.
- (7) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration in the prescribed form. The registered practitioner shall display the certificate of registration in a conspicuous part in the place of his practice and if he has more than one such place in any of them.

For registration in certain cases

- 16. (1) A practitioner holding a medical qualification from any authority in any place outside the territory of Indian (other than the qualification in the second schedule or the Third schedule to the Indian Medical Council Act 1956) shall not be registered under this Bill, unless the procedure specified in sub-section (2) has been followed.
 - (2) Any person, who holds any such medical qualification, may apply to the council for registration by giving a correct description of his qualification, with his degree, diploma, license or certificate. The council shall send the same to the Medical Council of India for opinion and shall act according to the opinion.

Persons who may not be registered

17.

Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, no person whose name has been removed whether before or after the appointed day, from any register kept under this Bill or any other law for the time being in force in India regulating the registration of Medical practitioners on the ground of professional misconduct shall be entitled to have his/her name entered in the register, unless his/her name is duly ordered to be restored to the register from which it was so removed.

Fees for and Certificate of provisional registration

- 18. (1) Any person who desires to be registered provisionally under section 25 of the Indian Medical Council Act, 1956 (central act 102 of 1956) shall make an application in the prescribed form to the Registrar and shall pay the prescribed fee.
 - (2) Every person whose name is entered in the registrar under sub-section (1) shall be given a certificate of provisional registration in the prescribed form. Such certificate shall remain in force for such period as may be specified therein.

Maintenance of Register

- 19. (1) It shall be the duty of the Registrar to make entries in the register, from time to time, to revise the same and to issue certificate of registration in accordance with the provisions of this Act, and the rules made there under.
 - (2) (a) every Registrar of births and deaths, on receiving notice of death of a medical practitioner, under this Act, shall forthwith transmit by post to the registrar appointed under this Act a certificate under his own hand of such death with the particulars of time and place of death and may charge the cost of such certificate and transmission as an expense on his office;

- (b) the names of registered practitioners, who die or whose names are directed to be removed from the register under section 22 shall be removed there from.
- (3) Any person whose name is entered in the register and who subsequent to his registration desires to record in the register any change in his name shall, on an application made in this behalf and on payment of prescribed fee be entitled to have such change in his name recorded in the register.
- (4) Subject to the provisions of section 26 of the Indian Medical Council Act 1956 (Central Act, 102 of 1956), any person whose name is entered in the register and who subsequent to his registration obtains any additional qualification specified in any of the schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, shall on an application made on this behalf and on payment of the prescribed fee be entitled to have an entry stating such additional qualification made against his name in the register.

Publication of List of Registered practitioners 20.

- (1) At such time after the publication of the notice under sub-section (5) of section 15 as the council deems fit and thereafter every five years, the Registrar shall cause to be printed and published a correct list of all persons for the time being entered in the register but not later than three months of the start of the election processes.
- (2) The Registrar shall ensure that this list be printed and published annually on or before a date to be decided by the Executive Committee or an addendum and a corrigendum (if required) to the list published under sub-section (1) showing:-
 - (a) the names of all persons for the time being entered or re-entered in the register, and not included in any subsisting list already printed and published;
 - (b) the names of all practitioners included in any subsisting list whose names have been since been removed on account of any reason whatso-ever from, and not reentered in the register; and
 - (c) any other amendments to the subsisting list.
- (3) The form of the list published under sub-section (1), the particulars to be included therein, and the manner of its publication, shall be such as may be prescribed.
- (4) A copy of the list referred to in sub-section (1), shall be conclusive evidence in all courts, and in all judicial or quasi-judicial proceedings, that the persons therein specified are registered according to the provisions of this Act and the absence of the name of any person from such copy shall be evidence, until the contrary is proved, that such person is not registered according to the provisions of this Act:

Provided that in the case of any person whose name does not appear in such copy, a certified copy under the hand of the Registrar of the entry of the name of such person on the register shall be evidence that such person is registered under the provision of this Act.

Disciplinary action including removal of names from the Register

- 21. (1) The council shall have a disciplinary committee comprising of:
 - (i) A Chairman to be nominated by the council;
 - (ii) A member of legislative Assembly of Uttarakhand State nominated by the speaker;

- (iii) A legal expert to be nominated by the Law Department;
- (iv) An eminent public man nominated by the Government;
- (v) An eminent medical specialist in the relevant specialist to which the complaint pertains, to be nominated by the council; and
- (vi) A member nominated by Medical Association of Uttarakhand State with minimum ten years standing.
- (2) If a registered practitioner has been, after due inquiry held by the council or by the executive committee in the prescribed manner, found guilty of any misconduct by the council or the executive committee, the council may:-
 - (a) Issue a letter of warning to such practitioner; or
 - (b) Direct the name of such practitioner-
 - (i) to be removed from the register for such period as may be specified in the aforesaid direction; or
 - (ii) to be removed from the register permanently.

Explanation- for the purpose of this section a registered practitioner shall be deemed to be guilty of misconduct if:-

- (a) he/she is convicted by a criminal court for an offence which involves moral turpitude and which is cognizable within the meaning of the code of criminal procedure 1973 (central act 2 of 1974), or
- (b) in the opinion of the council his/her conduct is infamous in relation to the medical profession particularly under any code of Ethics, prescribed by the council or by the Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (central act 102 of 1956) in this behalf.
- (3) The council may, on sufficient cause being shown, direct on any subsequent date that the name of a practitioner removed under the sub-section (1) shall be re-entered in the register on such conditions, and on payment of the prescribed fee, as the council may deem fit.
- (4) The Council may, of its own motion, or on the application of any person, after due and proper inquiry and after giving an opportunity to the person concerned of being heard, cancel or alter any entry in the register, if in the opinion of the council, such entry was fraudulently or incorrectly made.
- (5) In holding any inquiry under this section, the council or the executive committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in civil courts under the code of civil procedure, 1908 when trying a suit, in respect of the following matters, namely:-
 - (a) Enforcing the attendance of any person, and examining him on oath;
 - (b) Compelling the production of documents;
 - (c) Issuing of commissions for the examination of witnesses.
- (6) All the inquiries under this section shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code.
- (7) a) for the purpose of advising the Council or the Executive Committee, as the case may be, on any question of law arising in any inquiry under this section, there may in all such inquired an assessor, who has been for not less than ten years;

- (i) an advocate enrolled under the advocated Act 1961, or
- (ii) advocate General of the Honorable High Court;
- (iii) an attorney of a High Court.

Explanation— (a) for the purpose of this sub-section for computing the required period that period will also be added during which a person has been enrolled as an advocate under the Indian Bar council Act, 1926.

- (b) where an assessor advises the Council, or the executive committee, as the case may be, on any question of law as to evidence, procedure or any other matter, he shall do so in the presence of every party or person representing a party to the inquiry who appears thereat or if the advices tendered after the Council or the Executive committee has begin to deliberate as to its findings, every such party or person as a foresaid shall be informed what advice the assessors has tendered, such party or person shall also be informed if, in any case, the council or the executive committee does not accept the advice of the assessors on any such questions as a foresaid.
- (c) any assessors under this section may be appointed either generally, or to any particular inquiry, and shall be paid the prescribed remuneration as may be prescribed from time to time.

Renewal of registration

- 22. (1) Notwithstanding anything contained in section 15 and 20, on such date, after the date of publication of the notice under sub-section 5 of section 15, as the Executive Committee may, with the previous sanction of the Government, decide, and every five years thereafter, the Registrar shall cause two notices in the prescribed form to be published, at an interval of not less than thirty days in the official gazette calling upon in the manner provided in sub-section (2) on registered practitioner to make an application to the registrar for the continuance of their names of the register.
 - (2) The registrar shall, after the publication of the first notice under sub-section (1), send a notice by registered post enclosing therewith the prescribed form of application to the registered practitioners at their addresses as entered in the register, calling upon them to return the application to the registrar for continuance of their names of the register within forty-five days of the date of the notice. If any of the registered practitioners fails to return such applications within the time specified, the registrar shall issue a further notice to such registered practitioner by registered post after the application of second notice under sub-section (1), enclosing therewith the prescribed form the application to the registrar for the continuation of his name on the register within thirty days of the date of the further notice with a fee as may be prescribed from time to time.
 - (3) If the application is not made on or before the date fixed by further notice sent by registered post under sub-section (2) the Registrar shall remove the name of the defaulter from the registrar and shall inform him of such removal by registered post:

Provided that if an application for continuance of the name so removed is made within a period of six months from the date fix by the said further notice by registered post under sub-section (2), the name so removed may be re-entered in the register on payment of the prescribed fee.

Appeals

- 23. (1) Any person aggrieved by any decision of the Registrar under this Act may, within the period of 1 month from the date on which the decision is communicated to him, appeal to the Council which shall hear and determine the appeal in the prescribed manner.
 - (2) Save as otherwise provided in the Indian Medical Conceal Act, 1956 (Central Act 102 of 1956), the decision of the Council under this Act shall be final.

Rights of registered practitioners

- 24. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force-
 - (i) The expressions 'legally qualified' medical practitioner ' or duly qualified medical practitioner' or any word importing a person recognized by law as a medical practitioner or member of the medical profession shall in all acts of the Legislative Assembly of Uttarakhand and all the central Acts (in their application to Uttarakhand) in so far as such Acts relate to any matter with respect to which the legislative Assembly has power to make laws, under clause (3) of article 239 AA of the constitution, include a practitioner whose name is entered in the register under this Act:
 - (ii) Every registered practitioner shall be exempt, if he so desires from serving on an inquest.

General provision applicable to Medical practitioner

25. The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provision of the Indian Medical Council Act, 1956, (Central Act 102 of 1956) containing general provisions applicable to all medical practitioners.

Penalty for falsely claiming to be registered

26.

27.

If any person whose name is not for the time being entered in the register falsely represents that it is so entered, or uses in connection with his name or titled any word or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall, on conviction, be punished with minimum fine of Rs. 25,000 which may extended upto Rs. 50,000.

False assumption of medical practitioner or practitioner under this Act to be an offence

Any person who falsely assumes that he is a medical practitioner or practitioner as defined in clause (7) of section, 2 and practices the modern scientific system of medicine shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend upto three years or with fine which may extend upto Rs. 50,000 (fifty thousand rupees) or with both.

Explanation: under this section punishment can be awarded only to Medical practitioner as defined in section 2(7) of this Act and no punishment may be awarded to any one practicing veterinary medicine or veterinary surgery or homeopathic or ayurvedic or siddha or the Unani System of medicine those holding BAMS or BIMS degree.

Court competent to try offence, under this Act and take cognizance of offence

- 28. (1) No court other than the court of a Chief Judicial Magistrate, or Magistrate First Class shall take cognizance of, or try an offence, under this Act.
 - (2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing by an officer empowered by rules made in this behalf.

Control of the Government

29. (1) If at any time, it appears to the Government that, the council or its president or vice-president has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it or him by or under this Act or has ceased to function, or has become incapable of functioning, the Government may, if it considers such failure, excess abuse or incapacity to be a serious character, notify the particulars thereof to the council or the President or the Vice-President, as the case may be, fails to remedy such failure, excess abuse or incapability within such reasonable time as the Government may fix in this behalf, the Government may remove the President or Vice President or dissolve the council for specified period, as the case may be, and in case of dissolution of the council, cause all or any of the powers, duties & function of the Council to be exercised, performed and discharged by such registered practitioner or practitioner as the Government may appoint in that behalf:

Provided that a new council shall be constituted before the expiry of a period of two years from the date of its dissolution.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, or in the rules made there under, if at any time it appears to the Government that the council or any other authority empowered to exercise any of the powers or to perform any of the duties or functions under this Act, has not been validly constituted or appointed, the Government may cause any of such powers duties or functions to be exercised or performed by such person or persons, in such manner and for such period; not exceeding six months and subject to such conditions, as it thinks fit.

Rules

- 30. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposed of this Act. Such rules may be made to provide for all or any matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Government may make rules for all or any of the following matters, namely;
 - (a) the time and place at which and the manner in which the election of the members and of the president and the Vice President shall be held under sub-section (5) of section 3.
 - (b) the manner in which the meeting of the council shall be convened, held and conducted under sub-section (1) of section 8;
 - (c) the powers, duties, and functions of the council, the condition subject to which they shall be exercised and performed, and regulation of professional conduct of practitioners by a code of ethics in accordance with section 10;
 - (d) number of elected members who shall be elected by the Council from amongst its members for constituting the Executive Committee of the Council; and the term of office of, and the manner of filling casual vacancies among and the procedure to be followed by the members of the Executive Committee and also the powers and duties and functions of the Council as may be delegated by the Council to be exercised, performed and discharged by the Executive committee under the provision of section 11;
 - (e) the fees and allowances payable to the President, the Vice President and other member of the Council, and to the members of its Executive Committee under section 12;

- (f) the salary and allowances payable to the Registrar and other conditions of service of the Registrar, manner of maintenance of the accounts of the council by the Registrar, supervisory powers of the Registrar over the staff and the duties and functions as may be specified in the Bill, which may be performed and discharged by the Registrar;
- (g) the conditions of service of the officers and staff of the Council under sub section (3) of section15;
- (h) preparation and maintenance of the register of medical practitioners, the form of such register, the particulars including the name, address, and qualification, etc of the registered practitioners to be entered in the register, prescription of the form of application and of notice to be published in the official Gazette and newspapers to have names registered, prescription of fees to be paid for such entry and the manner of payment, prescription of form for sending individual notices, prescription of the form of certificate which shall be given to registered practitioners under section 15:
- (i) prescribing the form of application for provisional registration, fee payable for such registration and prescribing form of certificate of provisional registration under section 18;
- (j) prescription of fee for recording change of name in the register, prescription of the fee payable for entering additional qualification in the register and prescription of fee payable for issue of duplicate certificate of registration under section 19;
- (k) the form of the list of registered medical practitioners and manner of the publication of the list under section 20:
- (1) manner for taking disciplinary action etc. against registered practitioner by the Council or by the Executive Committee, conditions subject to which and the fee for re-entering the name of a practitioner in the register and the remuneration to be paid to an assessor under section 21;
- (m) from of notice and form of application for renewal of registration be registered medical practitioner, fee payable for re-entry of name which is removed from the register due to non-renewal under section 22;
- (n) the manner in which appeals against the decision of the Registrar shall be heard by the Council under section 23;
- (o) officers who are empowered to make a complaint under sub-section (2) of section 29;
- (p) any other matter which is to be, or may be, prescribed under this Bill.
- (3) All rules made under this section shall be laid is not more than thirty days on as soon as possible after they are made before the Legislative Assembly of Uttarakhand and shall be subject to rescission by the Legislative assembly or to such modifications as the Legislative Assembly may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.
- (4) Any rescission or modification so made by the Legislative Assembly of Uttarakhand shall be published in the official Gazette and shall thereupon take effect.

Code or conduct and Ethics	f 31.	The Council shall follow the code of conduct and medical ethics as prescribed by the Medical Council of India from time to time.
Power to remove difficulties	32.	If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may by order as occasion requires, do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:
		Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the constitution of the Council.
Repeal	33.	The Uttarakhand Medical Council Ordinance, 2002 is hereby repealed.